न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–12 / 2021

1. श्री ओमप्रकाश पिता रामलाल जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्री कमलेश पिता रामलाल जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
3. सुगना पुत्री रामलाल जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
4. ममता पुत्री रामलाल जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
5. मु0 दाखी बेवा रामलाल जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री गोविन्द प्रसाद कुमावत – अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 15.07.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधीनियम 1956 का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता रामलाल को श्री हीरालाल पिता तोलीराम कुमावत ने दिनांक 04.07.1981 को जरिये पंजीयन गोदनामा गोद रखा एवं इसी क्रम नामान्तकरण सं 28 खाता संख्या 189 में आराजी संख्या 176 / 2 रकबा 3 बीघा एवं खाता संख्या 22 जिसके आराजी संख्या 197 / 1 रकबा 13 बीस्वा, आराजी संख्या 316 रकबा 6बीघा 13 बीस्वा, आराजी संख्या 323 रकबा 7 बीघा, आराजी संख्या 362 रकबा 6 बीघा 4 बीस्वा, आराजी संख्या 406 / 2 रकबा 17 बीस्वा, आराजी संख्या

449 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा, आराजी संख्या 524 रकवा 1 बीघा 1 बीस्वा, आराजी संख्या 525 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा, आराजी संख्या 522 रकवा 18 बीस्वा, आराजी संख्या 523/2क रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा, आराजी संख्या 599 रकवा 2 बीघा 2 बीस्वा, आराजी संख्या 600 रकबा 1 बीघा 06 बीस्वा, कुल किता 12 कुल रकवा 31 बीघा 19 बीस्वा भूमि काशीराम व हीरालाल के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड थी जिसमें साबिक आराजी संख्या 406/2 रकबा 17 बीस्वा के नये आराजी संख्या 375 रकबा 0.09 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 376 रकवा 0.06 हैक्ट0 तथा साबिक नंबर 197/1 रकबा 13 बीस्वा के नये नंबर 816 रकबा 0.14 हैक्ट0 बने लेकिन नये आराजी संख्या 375, 376, 816 एवं 848 में श्री हीरालाल जी का ही नाम दर्ज रेकार्ड जबकि नामान्तरकरण संख्या 28 से रामलाल जी का नाम इन्द्राज होना था जो त्रुटिवंश इन्द्राज होने से रह गया तथा रामलाल जी का भी दिनांक 25.03.2009 को स्वर्गवास हो गया था अत उक्त शुद्धि को करने का आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर अपार्थीगण को जरिये समन्न सुचित किया किया गया तथा पटवारी रिपोट तलब कि गई जिसमें आराजी संख्या 375 पर प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से अनुसार कब्जा कर रखा है। आराजी संख्या 376 पर प्रार्थी का पक्का मकान व बाड़ा बना हुआ है तथा सामलाती खातेदारों के मकान बनें हुए है। आराजी संख्या 816 पर प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से अनुसार चार दिवारी बना कर कब्जा कर रखा है। आरजी संख्या 848 पर प्रार्थी सिचाई करता है वर्तमान में पानी नहीं होने से उपयोग में नहीं ली जा रहीं। अतः समस्त आराजी संख्या 375, 376, 816 एवं 848 पर प्रार्थीगणों का हिस्से अनुसार काबिज होना बताया गया है।

3. पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया सलग्न जमाबन्दी सवत 2031–34 का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि उक्त समस्त आराजी पूर्व में काशीराम, हीरालाल पिता तोलीराम के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा साथ ही नामान्तकरण संख्या 28 द्वारा हीरालाल के बजाए रामलाल मु0 हीरालाल 1/2 शेष बदस्तुर का नोट लगा हुआ है। नामान्तकरण संख्या 28 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी का हीरालाल पिता तोलीराम कुमावत के बजाए रामलाल मु0 हीरालाल कुमावत के नाम नामान्तकरण किया गया था लेकिन उक्त आराजी का सेटलमेन्ट के बाद

जमाबन्दी में अमल नहीं हो पाया जोकि एक विधिक भूल हुई है। जिसको शुद्धी किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मौजा नाराणी पटवार हल्का नाराणी के खाता संख्या 209 की आराजी संख्या 375 रकबा 0.09 हैक्ट0, आराजी संख्या 376 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी संख्या 816 रकबा 0.14 हैक्ट0 एवं खाता संख्या 100 की आराजी संख्या 848 रकबा 0.05 हैक्ट0 पर खातेदार श्री हीरालाल पिता तोलीराम के बजाए श्री रामलाल मु0 हीरालाल कुमावत के विधिक वारिसान की जॉच कर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़